

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 /88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक 50 एवं 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 67 अभ्यर्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है
5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा ।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।
12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- कनिष्ठ सहायक

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/ 3901 /नियुक्ति मूल/2020/ दिनांक ०६.०५.२०२० के तहत 50 कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 14,600/-रुपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
	5	4	6	2	3	9
1	निर्मल कुमार, सी.सै. 16.07.1998	पुत्र	16.07.2016 कनिष्ठ सहायक	लच्छाराम वरिष्ठ अध्यापक प्राशि	31.07.13	बीकानेर
2	अंकित पाहवा, बी.ए. 19.05.1987	पुत्र	10.10.2019 कनिष्ठ सहायक	शक्तिबाला, अध्यापिका	03.08.19	श्रीगंगानगर
3	प्रेमपाल, सी.सै. 10.07.1995	पुत्र	26.07.2017 कनिष्ठ सहायक	रमेश चन्द, प्रबोधक पंचायती राज	29.06.17	श्रीगंगानगर
4	प्रशान्त मेहरडा, सी.सै. 24.06.2000	पुत्र	27.06.2019 कनिष्ठ सहायक	बलवीर सिंह, अध्यापक प्राशि	26.05.19	हनुमानगढ़
5	रामचन्द्र, सी.सै. 02.08.1987	पुत्र	27.01.2020 कनिष्ठ सहायक	सुमेर सिंह, च.श्रे.क.	08.01.20	झुंझू
6	नितिन कुमार, सी.सै. 16.03.2001	पुत्र	07.08.2019 कनिष्ठ सहायक	पूरणमल, प्रधानाचार्य	30.06.19	सीकर
7	नवीन कुमार, सी.सै. 15.10.1998	पुत्र	01.12.2016 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र सिंह, कानि. क-2	09.06.11	सीकर
8	सुखदेई राव, सी.सै. बीएससी, 01.01.1995	पुत्री	06.03.2017 कनिष्ठ सहायक	मदन सिंह कानि. क-2	01.06.97	सीकर
9	मानवेन्द्र सिंह शेखावत बी.कॉम, 16.04.1991	पुत्र	30.09.2019 कनिष्ठ सहायक	रीटा राठौड़ वरिष्ठ अध्यापिका	24.08.19	जयपुर
10	जुगल किशोर खजोतिया एम.ए. 05.08.1976	पति	07.03.2018 कनिष्ठ सहायक	मंजू कोली, अध्यापिका प्रा.शि.	22.01.18	जयपुर
11	जितेन्द्र कुमार मोर्य, सी.सै. 04.09.1988	पुत्र	16.11.2015 कनिष्ठ सहायक	रोशन लाल मोर्य अध्यापक पं. राज	10.10.15	जयपुर
12	हिमांशु तायल, सी.सै. 24.12.1999	पुत्र	03.01.2018 कनिष्ठ सहायक	सुनीता तायल, अध्यापिका पं. राज	04.03.09	जयपुर
13	हुकम चन्द नापित, सी.सै. 10.02.1990	पुत्र	24.10.2019 कनिष्ठ सहायक	ताराचन्द नापित अध्यापक	18.09.19	दौसा
14	जसवंत यादव, एम.ए. 07.08.1992	पुत्र	02.08.2017 कनिष्ठ सहायक	जय सिंह यादव, कानि, क-2	13.07.17	अलवर
15	मोहित मीणा, सी.सै. 02.01.1999	पुत्र	02.01.2017 कनिष्ठ सहायक	रतीराम मीणा कानि क-2	22.10.12	अलवर
16	सचिन कुमार, सी.सै. 25.01.1998	पुत्र	19.01.2017 कनिष्ठ सहायक	अशोक कुमार अध्यापक पंचायत राज	31.12.16	अलवर
17	चन्द्रवीर सिंह, बी.ए. 15.06.1997	पुत्र	03.06.2019 कनिष्ठ सहायक	शैतान सिंह, अध्यापक	28.04.19	जोधपुर

(Handwritten signatures)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
18	नखतराज, बी.ए. 02.07.1997	पुत्र	11.01.2020 कनिष्ठ सहायक	शिव कुमार प्र.शा.से.	08.12.19	जोधपुर
19	भंवरदान बीए 10.10.1995	पुत्र	04.03.2013 कनिष्ठ सहायक	हडदान अध्यापक पंचायत राज	28.02.99	बाडमेर
20	आनन्द सिंह, सी.सै. 18.09.1992	पुत्र	17.07.2011 कनिष्ठ सहायक	धमेन्द्र सिंह, अध्यापक प्राशि	24.10.94	जैसलमेर
21	मीनाक्षी चौहान, सी.सै. 14.04.2000	पुत्री	11.06.2018 कनिष्ठ सहायक	नैनाराम चौहान, वरि. अध्यापक प्राशि	15.04.18	पाली
22	रुकमा वर्मा बी.ए. 08.12.1984	पत्नी	25.05.2009 कनिष्ठ सहायक	हजारी राम, अध्यापक पंचायत राज	13.03.09	जालौर
23	सोनिया तारावत सी.सै. 02.07.1997	पुत्री	10.03.2018 कनिष्ठ सहायक	पारस मल तारावत अध्यापक	12.01.18	अजमेर
24	पंकज कुमार मेघवंशी सी.सै. 27.07.2001	पुत्र	19.11.2019 कनिष्ठ सहायक	रामदेव मेघवंशी व.शा.शि.	08.10.19	अजमेर
25	कविता, सी.सै. 01.07.1990	पत्नी	27.06.2019 कनिष्ठ सहायक	महावीर सिंह व.अध्यापक	21.05.19	नागौर
26	देवकिशन, बी.ए. 05.06.1976	पुत्र	26.09.2017 कनिष्ठ सहायक	शंकर लाल च.श्रे.क. प्राशि	06.08.77	नागौर
27	किरण शर्मा, बी.ए. 05.07.1969	पत्नी	10.11.2018 कनिष्ठ सहायक	विष्णु कुमार शा.शि. प्रा.शि.	28.09.18	भीलवाड़ा
28	नरेश कुमार मीणा सी.सै. 05.04.1998	पुत्र	02.12.2019 कनिष्ठ सहायक	प्रेमचन्द मीणा, प्रबोधक पंचायत राज	19.10.19	भीलवाड़ा
29	भरत कुमार माली सी.सै. 05.07.2001	पुत्र	21.08.2019 कनिष्ठ सहायक	कन्हैयालाल माली, अध्यापक, प.राज	26.06.16	भीलवाड़ा
30	नरेन्द्र प्रताप सिंह सी.सै. 30.01.1998	पुत्र	25.04.2017 कनिष्ठ सहायक	जयसिंह सोलंकी, अध्यापक प.राज	15.02.99	टोंक
31	ममता पारीक, सी.सै. 02.10.1979	पत्नी	19.07.2018 कनिष्ठ सहायक	मुकेश कुमार पारीक अध्यापक प.राज	10.05.18	टोंक
32	प्रियव्रत चौधरी, सी.सै. 22.02.2000	पुत्र	15.04.2019 कनिष्ठ सहायक	रितु रेखा फौजदार अध्यापिका	18.01.19	भरतपुर
33	समीन खान, बी.ए. 01.01.1990	पुत्र	16.12.2015 कनिष्ठ सहायक	रज्जाक खान प्रबोधक पंचायत राज	01.06.11	भरतपुर
34	सुनीता मीणा, बी.ए. 10.06.1990	पत्नी	28.11.2019 कनिष्ठ सहायक	धारासिंह मीणा, व्याख्याता	04.11.19	सवाई माधोपुर
35	मिथिलेश महावर, सी.सै. 29.10.1994	पुत्र	02.06.2015 कनिष्ठ सहायक	गंगा राम महावर अध्यापक, प.राज	16.03.15	करोली
36	रणजीत नरवाला सी.सै. 10.09.1993	पुत्र	20.10.2019 कनिष्ठ सहायक	कालू लाल च.श्रे.क.	21.09.19	कोटा
37	नितिन कुमार जांगीड़ सी.सै. 05.05.2001	पुत्र	27.11.2018 कनिष्ठ सहायक	यमुना शंकर जांगीड़ वरि. अध्यापक प्राशि	04.11.18	बून्दी
38	रोशन सिंह लोधा सी.सै. 01.07.1999	पुत्र	09.01.2018 कनिष्ठ सहायक	चन्दा लाल प्रबोधक, प.राज	13.01.14	झालावाड़

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
39	राम लाल खटीक सी.सै. 24.01.2001	पुत्र	07.11.2019 कनिष्ठ सहायक	कालू लाल खटीक स.प्र.अ.	18.09.19	उदयपुर
40	उर्मिला गोटावत बी.ए. 22.02.1995	पत्नी	11.01.2019 कनिष्ठ सहायक	गणेश लाल भट्ट, व्याख्याता	30.11.18	उदयपुर
41	नवदीप सिंह राजपूत सी.सै. 17.03.1990	पुत्र	26.07.2019 कनिष्ठ सहायक	मनोहर सिंह राजपूत प्रधानाचार्य	07.07.19	उदयपुर
42	मयंक कुमार तातेड बी.कॉम 28.06.1998	पुत्र	25.09.2019 कनिष्ठ सहायक	राकेश कुमार तातेड वरिष्ठ लिपिक	26.08.19	उदयपुर
43	कुणाल सोनी एम.ए. 21.08.1995	पुत्र	22.05.2019 कनिष्ठ सहायक	रेखा स्वर्णकार, व्याख्याता	04.05.19	उदयपुर
44	अरविन्द चौहान बी.ए. 15.06.1990	पुत्र	08.07.2019 कनिष्ठ सहायक	गणपत सिंह अध्यापक	29.05.19	राजसमंद
45	योगेश लदढा, बी.कॉम. 08.11.1989	पुत्र	25.06.2019 कनिष्ठ सहायक	दुर्गा लदढा अध्यापिका प.राज	23.05.19	राजसमंद
46	प्रकाश चन्द्र कटारा एम.ए. 05.06.1991	पुत्र	09.07.2019 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मण लाल कटारा प्रधानाचार्य	29.05.19	डूंगरपुर
47	शशिकान्त भगोरा सी.सै. 07.10.1991	पुत्र	15.11.2019 कनिष्ठ सहायक	हीरालाल भगोरा व्याख्याता	10.09.19	डूंगरपुर
48	संजय कुमार वरहात सी.सै. 20.06.1999	पुत्र	29.03.2018 कनिष्ठ सहायक	देवीलाल वरहात अध्यापक प्राशि	03.01.18	डूंगरपुर
49	प्रकाश चन्द्र विहात सी.सै. 21.06.1997	पुत्र	09.10.2017 कनिष्ठ सहायक	रमण लाल विहात अध्यापक प्राशि	05.09.17	डूंगरपुर
50	आतिशा खान, सी.सै. 02.06.1996	पत्नी	13.02.2019 कनिष्ठ सहायक	मोहम्मद हनीफ खां पठान, कनि. लिपिक	25.01.19	चित्तौड़गढ़

नोट :- क्र.सं. 01, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 29, 30, 33, एवं 38 के प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त हैं।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे ।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
18. माध्यमिक शिक्षा सेंटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो ।
21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्मेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)


(सौरभ स्वामी)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्ति मूल/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय, राज0 जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,संभाग को सूचनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक).....को संलग्न सूची (कनिष्ठ सहायक तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
7. श्री.....को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)..... कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे ।
8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग ।
10. रक्षित पत्रावली ।



उप निदेशक(प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आवेदित पद :- च.श्रे.क.

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित जिन्हे निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य साप्र/ए-4/3901 /नियुक्ति मूल/2020/ दिनांक 06.05.2020 के तहत 17 च.श्रे.क. पद पर नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :- (स्थिर पारिश्रमिक 12,400/-रूपयें मासिक)

क्र.सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	मृत्यु तिथि	आवंटित जिला
	5	4	6	2	3	9
1	बछराज, पांचवी 07.05.1986	पुत्र	11.01.2020 च.श्रे.क.	बच्चू देवी, चश्रेक	21.12.19	बीकानेर
2	नर्गिस, साक्षर 01.01.1973	पत्नी	08.01.2019 च.श्रे.क.	हाकम सहा. कर्मचारी	27.10.18	बीकानेर
3	मनोज छंगाणी, नवमी 05.09.1988	पुत्र	11.02.2020 च.श्रे.क.	गिरिराज छंगाणी, चश्रेक	03.01.20	बीकानेर
4	बिमला देवी, साक्षर 25.08.1976	पत्नी	04.12.2019 च.श्रे.क.	मनीराम, वरि. अध्यापक	28.10.19	श्रीगंगानगर
5	तारादेवी साक्षर 01.07.1975	पत्नी	12.08.2015 च.श्रे.क.	रतीराम आकोद अध्यापक प.राज	14.07.15	अलवर
6	जयस्वरूप पंवार, पांचवी 24.08.1999	पुत्र	26.10.2015 च.श्रे.क.	चूडामणी पंवार चश्रेक	17.08.15	जोधपुर
7	मदन दास, नवमी 19.11.1984	पुत्र	27.09.2019 च.श्रे.क.	भैरूदास चश्रेक	18.08.19	जोधपुर
8	डिम्पल, साक्षर 14.09.1983	पत्नी	29.07.2019 च.श्रे.क.	हरवंश चश्रेक	12.06.19	अजमेर
9	मंजू कवर, साक्षर 10.07.1967	पत्नी	30.03.2019 च.श्रे.क.	नन्दसिंह पंवार चश्रेक	02.01.19	अजमेर
10	विनय कुमार, आठवी 10.12.1988	पुत्र	28.11.2019 च.श्रे.क.	रणधीर सिंह वरि. अध्यापक प्राशि	22.09.19	भरतपुर
11	सोनू बंशीवाल, नवमी 06.04.1993	पुत्र	16.03.2016 च.श्रे.क.	बद्रीलाल बंशीवाल अध्यापक पं. राज	14.02.16	बून्दी
12	संजय वर्मा, नवमी 10.12.1991	पुत्र	30.01.2019 च.श्रे.क.	रोशन लाल चश्रेक	18.12.18	उदयपुर
13	मोनिका तंवर, आठवी 21.11.1987	पत्नी	04.06.2019 च.श्रे.क.	हितेश सिंह पंवार चश्रेक	04.05.19	उदयपुर
14	झूली देवी, साक्षर 01.01.1996	पत्नी	05.04.2019 च.श्रे.क.	बलवन्त सालवी, चश्रेक	26.02.19	राजसमंद
15	सबू गरासिया, नवमी 07.06.1987	पत्नी	24.12.2018 च.श्रे.क.	विजय सिंह गरासिया अध्यापक	22.10.18	बांसवाड़ा
16	नटवर लाल सैकण्डरी 05.04.2000	पुत्र	24.05.2019 च.श्रे.क.	शिव शंकर चश्रेक	24.04.19	बांसवाड़ा
17	मृगांक पाण्डव नवमी 19.12.1988	पुत्र	27.06.2017 च.श्रे.क.	मदन लाल पाण्डव प्रधानाध्यापक	13.04.17	बांसवाड़ा

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर